नियम 135—धारा 140.—(1) धारा 143 के अधीन संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर अथवा उन तथ्यों के आधार पर जो अन्य प्रकार से उसे ज्ञात हो, परगनाधिकारी अपना इस विषय में संतोष करने के लिए भूमिधर के खाते या उसके किसी भाग का उपयोग वास्तव में किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसका सम्बन्ध कृषि, बागवानी या पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मछली पालन और कुक्कुट पालन भी है, से नहीं है, तहसीलदार द्वारा जाँच करवा सकता है। तहसीलदार इस प्रयोजन के लिए या तो स्वयं मौका मुआयना (spot enquiry) करेगा या किसी ऐसे अधिकारी को जो सुपरवाइजर कानूनगो से निम्न पद का न हो। तहसीलदार अपनी रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित आकार-पत्र में सूचना भी देगा—

गाँव का नाम	भूमिधर का नाम, पिता का नाम और निवास-स्थान	खाता-खतौनी संख्या	खाते का क्षेत्रफल	मालगुजारी	गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाते का क्षेत्रफल		विशिष्ट गैर-कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई भाग काम में लाया जाता हो	विशेष विवरण (Remarks)
					(क) गाटा संख्या	(ख) क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9